bottlenecks, market saturation and product obsolescence). The review also brought out that industrial sickness in Mahrashtra and some other States could also be attributed to the existence of a large number of textile, engineering and chemcial units in which industrial sickness was predominant.

(e) Detailed guidelines have been issued by the RBI regarding formulation and implementation of reheabilitation packages in respect of sick/weak units found potentially viable. Rehabilitation packages inter alia, provide for funding of existing dues of banks and financial institutions with extended period for repayment (7-10 years) thereof in a phased manner, interest concessions, grant of fresh term loan as also fresh working capital facilities. As regards, non-SSI sick industrial companies, the BIFR, a quesi-judicial body set up under Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 has been adequately empowered to take necessary action for determination of preventive, ameliorative, remedial and other measures for the rehabilitation of sick units and expeditious enforcement of such measures. Where a scheme for rehabilitation of company is sanctioned by the BIFR, banks/financial institutions provide facilities including reliefs/ concessions in terms of the sanctioned scheme.

Updating of Booklet Titled "Highlights of Policies Programmes and Implementation"

2207. SHRI JAGIR SINGH DARD:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:
SHRI SHIV CHARAN SINGH:

Will the Minister of INFORMATION AND BROACASTING be pleased to state:

(a) whether the updating of information in the booklet titled "Highlights of Policies, Programmes and Implementation" will be done as on 1st January, 1996;

(b) if so, whether this wiii also be done in the regional languages; and

(c) what steps will be taken to make the people known about this information?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI P.M. SAYEED): (a) The compilation titled "Highlights of Policies, Programmes Implementation" is a periodic exercise and is in the process of being updated again.

(b) The booklet has been brought out in English and Hindi for use by media units. Backgrounders/features based on this material have been issued in regional languages by media units.

(c) The information contained in the booklet will be disseminated to the people through media and various media units of this Ministry.

राष्ट्रीय पन-बिजली निगम द्वारा विद्युत-उत्पादन

2208. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पन-बिजली निगम द्वारा विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस निगम के अन्तर्गत कितनी इकाइयां कार्य कर रही हैं और उनकी विद्युत-उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है;

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान वर्ष-वार इन इकाइयों की कितनी उत्पादन-क्षमता का उपयोग किया गया है और उनका विद्युत-उत्पादन कितना-कितना रहा है;

(घ) क्या देश में पन बिजली उत्पादन क्षमता के संबंध में भी अनुमान लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इस क्षमता को उपयोग में लाने के लिए भावी समयबद्ध योजनायें कौन-कौन सी हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल): (क) जी, हां।

(ख) निगम के अन्तर्गत कार्य कर रही यूनिटों की संख्या और उनकी अधिष्ठापित क्षमता निम्नलिखित है—

(1) बैरासूल जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश (3×66 मे०वा०)

(2) लोकतक जल विद्युत परियोजना, मणिपुर (3×35 मे०वा०)

(3) सलाल जल विद्युत परियोजना चरण-1 और 2, जम्मू एवं कश्मीर (6×115 मे०वा०)

(4) टनकपुर जल विद्युत परियोजना, उत्तर प्रदेश (3×40 मे०वा०)

(5) चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-1, हिमाचल प्रदेश (3×180 मे०वा०)

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान इन यूनिटों के क्षमता समुपयोजन और वास्तविक विद्युत उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

परियोजना	क्षमता समुपयोजन (%)			वास्तविक विद्युत उत्पादन (मि०यू०)		
	92-93	93-94	94-95	92-93	93-94	94-95
बैरासूल	110.67	81.20	111.05	830.01	609.01	832.93
लोकतक	121.78	137.78	115.25	545.56	617.27	516.34
सलाल-1 एवं 2	102.99	96.16	63.58	2098.91	1959.77	1971.83
टनकपुर	35.77	87.14	101.50	164.56	400.87	466.91
चमेरा-1	—	—	138.70	—	—	2307.97

(घ) और (ङ) देश में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जल विद्युत शक्यता 60% भार अनुपात पर 84044 मे०वा० आँकी गई है, जोकि 148701 मे०वा० की सम्भाव्य अधिष्ठापित क्षमता के अनुरूप है। दिनांक 31.3.95 की स्थिति के अनुसार अधिष्ठापित जल विद्युत क्षमता 20829.04 मे०वा० थी और वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान सम्भावित क्षमता अभिवृद्धि क्रमशः 421.55 मे०वा० और 982.4 मे०वा० है। उपलब्ध जल विद्युत शक्ति के बेहतर दोहन के लिए आरम्भ किए गए उपायों में ये शामिल हैं; बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के अधिष्ठापन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की विशिष्ट कम्पनियों का निर्माण करना; जल विद्युत स्कीमों के लिए बजटीय सहायता समेत योजनागत संसाधनों का अधिक आवंटन करना, जल विद्युत विकास में निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रोत्साहनों का प्रस्ताव रखना है।

गुजरात में जनता कपड़े का उत्पादन

2209. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष गुजरात में जनता कपड़े के उत्पादन हेतु क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उस लक्ष्य को कहां तक प्राप्त किया गया है;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य में जनता कपड़े के उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने जनता कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में वर्षवार जनता कपड़े की वास्तविक मांग कितनी-कितनी थी और उसे कहां तक पूरा किया जा रहा है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ):

(क) जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत राज्य को